

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/पेन-17/2025

पटना, दिनांक :-

डा० सलिल कुमार शर्मा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त प्राध्यापक, कान, नाक एवं गला विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के दिनांक-23.03.1988 से 14.09.1988 तक की अविनियमित सेवा अवधि जो अध्ययन अवकाश के रूप में बितायी गयी है, को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया जाता है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/पेन-17/2025-266(17)

पटना, दिनांक :- 26.02.26


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० रलिल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, कान, नाक एवं गला विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण, पत्राचार का पता-RCC-119 सेक्टर-04, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर-बहादुरपुर, थाना-अगमकुआँ, जिला-पटना, पिन कोड-800026 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

20

.

1